

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1961 / 11-सी-FP/UP/REHAB/149021/2021, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 09, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- मा० मुख्यमंत्री जी उ०प्र० शासन द्वारा जनपद औरैया के अन्तर्गत तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के लिये दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु वन विभाग की 3943 हे० आरक्षित वनभूमि के विनिमय के सम्बन्ध में गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 508 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं० FP/UP/REHAB/149021/2021)

संदर्भ- उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी 329/81-2-2022-800(331)/2022, दिनांक 11.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर ने अपने पत्रांक-1695/14-1, दिनांक 07.12.2022 द्वारा प्रेषित किया है।

अतः मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण सम्बन्धित प्रस्ताव की दो प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1961 / 11-सी FP/UP/REHAB/149021/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया।
- 3- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, तहसीलदार, राजस्व विभाग, औरैया।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

all